

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न, (म.प्र.)

क्रमांक- 125 / सी.जे.एम. / 2026

सिंगरौली, दिनांक 13.05.2026

:: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026 ::

मैं शिवचरण पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) और 13(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न के अनुमोदन उपरांत सिंगरौली जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक कार्य का विभाजन निम्नानुसार करता हूँ कि- जो दिनांक- 15/05/26 से अन्य आदेश होने तक निरंतर प्रभावशील रहेगा :-

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रकरणों का स्वरूप/क्षेत्राधिकार	रिमार्क
1.	शिवचरण पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म.प्र.)	1. पुलिस थाना बैढ़न, पुलिस थाना विन्ध्यनगर, पुलिस थाना मोरवा, पुलिस उप थाना जी.आर.पी. जिला सिंगरौली के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, (भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत अपराध को छोड़कर), (धारा 144 बी.एन.एस.एस., मुस्लिम विधि, के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर) (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर)। 2. पुलिस थाना बैढ़न, पुलिस थाना विन्ध्यनगर, पुलिस थाना मोरवा के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण। 3. सिविल जिला सिंगरौली भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सेन्ट्रल एक्साइज एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। 4. नगर निगम सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। 5. नाप-तौल विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। 6. सिविल जिला सिंगरौली भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत समिति द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। 7. सिविल जिला सिंगरौली भौगोलिक क्षेत्राधिकार	

- से उत्पन्न होने वाले म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत द्राडिक प्रकरण।
8. आरक्षी केन्द्र बैढन एवं विन्ध्यनगर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
 9. पुलिस थाना बैढन, पुलिस थाना विन्ध्यनगर, पुलिस थाना मोरवा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले एन०डी०पी०एस०एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण।
 10. आबकारी वृत्त बैढन एवं मोरवा द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
 11. सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों के धारा-306 दं०प्र०सं०/धारा 343 बी.एन.एस.एस. के अधीन अभियुक्तों के वायदा माफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक की पूर्व दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण।
 12. सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले खारिजी प्रतिवेदन (ई०आर०)।
 13. थाना बैढन एवं विन्ध्यनगर से उद्भूत होने वाले खात्मा प्रतिवेदन।
 14. सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उत्पन्न इण्डियन मेडिकल काँसिल एक्ट 1996 एवं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
 15. थाना यातायात सिंगरौली से उत्पन्न समस्त द्राडिक प्रकरण।
 16. थाना यातायात सिंगरौली के समस्त खात्मा प्रकरण।
 17. परिवहन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली से उत्पन्न समस्त द्राडिक प्रकरण।
 18. परिवहन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली के समस्त खात्मा प्रकरण।
 19. श्रम विभाग जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढन से उत्पन्न समस्त द्राडिक प्रकरण।
 20. ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है, से संबंधित प्रकरण।
 21. जिला मुख्यालय बैढन के थाना बैढन एवं विन्ध्यनगर के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

		अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के समस्त प्रकरण।	
2.	श्री जय कुमार जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैठन (म.प्र.)	1. पुलिस थाना लंघाडोल के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन.डी. पी. एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हों)। 2. थाना लंघाडोल के समस्त खात्मा प्रकरण। 3. थाना लंघाडोल के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवेदन पत्र धारा 156(3) द.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोड़कर) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर)। 4. थाना लंघाडोल के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के समस्त प्रकरण। 5. खनिज विभाग द्वारा जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैठन पर लगने वाले समस्त थानों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 6. वन परिक्षेत्र(रेज) वैठन, माडा एवं गोरबी मुख्यालय बैठन से उत्पन्न होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण। 7. जिला मुख्यालय वैठन के थाना माडा, नवानगर, मोरवा तथा लंघाडोल के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम	

		के समस्त प्रकरण। 8. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।	
3.	श्री केशव कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैठन (म.प्र.)	1. पुलिस थाना माड़ा एवं नवानगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस., आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन. डी. पी. एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित समस्त प्रकरण 2. थाना माड़ा एवं नवानगर के समस्त खात्मा प्रकरण। 3. थाना माड़ा एवं नवानगर के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के समस्त प्रकरण। 4. महिला थाना मुख्यालय बैठन जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस. के आवेदन पत्र। 5. महिला थाना बैठन(सिंगरौली) के समस्त खात्मा प्रकरण। 6. पुलिस थाना बैठन, विध्यनगर, मोरवा, नवानगर, माड़ा तथा लंधाडोल के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दहेज प्रतिषेध अधिनियम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित समस्त दण्डिक प्रकरण, परिवाद पत्र, धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस. के आवेदन पत्र, धारा 125 से 128 दं.प्र.सं.0/धारा 144 एवं 147 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र (कुटुंब न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले प्रकरणों को छोड़कर) एवं (ग्राम न्यायालय से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर) 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।	
4.	श्रीमती तनु गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	1. थाना बैठन, थाना विध्यनगर एवं थाना मोरवा से उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र	

श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैठन (म.प्र.)	धारा 156 (3) द.प्र.स/धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.। (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोड़कर) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर)। 2. थाना बैठन, थाना विध्यनगर एवं थाना मोरवा के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।
5. श्री विष्णुकांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म०प्र०)	1. पुलिस थाना जियावन के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आबकारी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि० 2006 एवं एन०डी० पी०एस० एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हों)। 2. थाना जियावन के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परिवाद पत्र, आवेदन पत्र धारा 156(3) द.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोड़कर)। 3. थाना जियावन के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण। 4. थाना जियावन के समस्त खात्मा प्रकरण। 5. आबकारी वृत्त देवसर से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 6. तहसील न्यायालय देवसर के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के समस्त प्रकरण। 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

6. श्रीमती पूनम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	1. पुलिस थाना गढ़वा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 2. थाना गढ़वा के समस्त खात्मा प्रकरण। 3. थाना बरगवां, जियावन, चितरंगी एवं गढ़वा से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण योग्य महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा से संबंधित समस्त दण्डिक प्रकरण। 4. थाना बरगवां, जियावन, चितरंगी एवं गढ़वा थाने के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 125 दं.प्र.सं./144 बी.एन.एस.एस. से 128 दं.प्र.सं./147 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत भरण-पोषण के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये।
7. श्री यश भारती, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	1. पुलिस थाना बरगवां के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हों) 2. परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.। (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोड़कर)। 3. पुलिस थाना बरगवां के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण। 4. थाना बरगवां के समस्त खात्मा प्रकरण। 5. वन परिक्षेत्र (रेज) बरगवां, जियावन, चितरंगी एवं कर्तुआ से उत्पन्न होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण।

		6. खनिज विभाग द्वारा जिला सिंगरौली, तहसील मुख्यालय देवसर पर लगने वाल समस्त थानों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।
8.	श्रीमती इति प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	1. पुलिस थाना चितरंगी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो) 2. थाना चितरंगी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परिवाद पत्र, आवेदन पत्र धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. (महिलाओं के विरुद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोड़कर)। 3. थाना चितरंगी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण 4. थाना चितरंगी के समस्त खाल्मा प्रकरण। 5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।
9.	(रिक्त न्यायालय) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	1. पुलिस थाना सरई के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन0डी0 पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 2. थाना सरई के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.। 3. थाना सरई के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 125 दं.प्र.सं./144 बी.एन.एस.एस. से 128 दं.प्र.सं./147 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत भरण-पोषण के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा

	से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4. थाना सरई के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित समस्त प्रकरण। 5. थाना सरई के समस्त खात्मा प्रकरण। 6. आबकारी वृत्त सरई से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 7. वन परिक्षेत्र (रेंज) पूर्व सरई एवं पश्चिम सरई से उत्पन्न होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण। 8. खनिज विभाग द्वारा थाना सरई के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 मोप्रो गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 9. तहसील न्यायालय सरई के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के समस्त प्रकरण। 10. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।	
--	---	--

नोट—

1. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।
2. स्थानांतरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उनके पूर्व अधिकारी को इस कार्य विभाजन के आदेश से प्राप्त है।
3. अवकाश, स्थानांतरण एवं अनुपस्थिति इत्यादि की दशा में आवश्यक दायिद्वक कार्य, रिमाण्ड, जमानत, आवश्यक सुपुर्दनामा आदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किये जायेंगे जिसकी सूचना सूची में संलग्न है, प्रभार कमश रहेगा।
4. किसी भी कारण से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण में, जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है, के निराकरण में सक्षम रहेंगे।
5. आरक्षी केंद्र के रिमाण्ड प्रपत्र जो लम्बित हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किया जावे।

6. लंबित आपराधिक प्रकरण इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
7. सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में आवश्यक दायित्व कार्य निष्पादन करने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किए जावेंगे।
8. आकस्मिक अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
9. धारा 164 द0प्र0स0/धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत संस्वीकृतियां एवं कथन लेखवद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर कमशः द्वितीय प्रभारी एवं फिर पश्चात्वर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।
10. जिन न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं हुई है और वह न्यायालय रिक्त है तो मुख्यालय वैठन जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरणों में उनसे संबंधित समस्त वारण्ट, अन्य विविध कार्यवाहियां, अपील/पुनरीक्षण में पारित निर्णय एवं आदेश का परिपालन संबंधी कार्यवाहियां श्री जय कुमार जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली म.प्र. के द्वारा संपादित की जावेगी।
11. तहसील मुख्यालय देवसर एवं सरई में जिन मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं हुई है और वह न्यायालय रिक्त है तो ऐसे मजिस्ट्रेट/न्यायालय के प्रकरणों में उनसे संबंधित समस्त वारण्ट, अन्य विविध कार्यवाहियां अपील/पुनरीक्षण में पारित निर्णय/आदेश का परिपालन संबंधी कार्यवाहियां संबंधित थाना पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा कार्य संपादित की जावेगी।
12. समस्त मजिस्ट्रेटगण अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले थानों के धारा 52क एन.डी. पी.एस. एक्ट के आवेदनों का निराकरण करेंगे अर्थात् धारा 52क एन.डी. पी.एस. एक्ट की कार्यवाही करेंगे। श्री जय कुमार जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थाना वैठन, थाना विध्यनगर, थाना मोरवा के द्वारा प्रस्तुत धारा 52ए एन.डी. पी.एस. एक्ट के आवेदनों का निराकरण करेंगे अर्थात् धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही करेंगे।
13. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड जिला सिंगरौली मुख्यालय वैठन सुश्री रूपा मिश्रा का स्थानांतरण होने से बोर्ड का आवश्यक कार्य वर्तमान में बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया जावेगा।

प्रधान

प्रधान

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली, मुठान वैठन (म.प्र.)

13/05/26

(शिवचरण पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

—: परिशिष्ट—अ :—

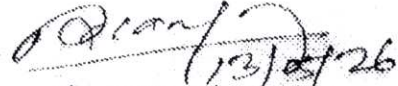
जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्नानुसार धारा 164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के अधीन संस्वीकृतियाँ तथा कथन अभिलिखित करेंगे।

क्र०	थाना का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	कोतवाली बैठन	श्री जय कुमार जैन	श्री केशव कुमार	श्रीमती तनु गुप्ता
2	विध्यनगर	श्री केशव कुमार	श्रीमती तनु गुप्ता	श्री जय कुमार जैन
3	मोरवा	श्रीमती तनु गुप्ता	श्री जय कुमार जैन	श्री केशव कुमार
4	माडा	श्री जय कुमार जैन	श्रीमती तनु गुप्ता	श्री केशव कुमार
5	नवानगर	श्रीमती तनु गुप्ता	श्री जय कुमार जैन	श्री केशव कुमार
6	लघाडोल	श्रीमती तनु गुप्ता	श्री केशव कुमार	श्री जय कुमार जैन
7	अजाक सिंगरीली	श्रीमती तनु गुप्ता	श्री जय कुमार जैन	श्री केशव कुमार
8	जियावन	श्री यश भारती	श्रीमती इति प्रजापति	श्रीमती पूनम सिंह
9	बरगवां	श्रीमती पूनम सिंह	श्री विष्णुकांत मिश्रा	श्रीमती इति प्रजापति
10	चितरंगी	श्री विष्णुकांत मिश्रा	श्री यश भारती	श्रीमती पूनम सिंह
11	गढ़वा	श्रीमती इति प्रजापति	श्री विष्णुकांत मिश्रा	श्री यश भारती
12	सरई	श्रीमती पूनम सिंह	श्रीमती इति प्रजापति	श्री यश भारती

नोट :-

1. तहसील मुख्यालय देवसर पर लगने वाले समस्त थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित प्रकरणों के विचारण का क्षेत्राधिकार श्रीमती पूनम सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर को प्राप्त होने से माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2023 के आलोक में मुख्यालय देवसर पर लगने वाले समस्त थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अपराधों में धारा 164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती इति प्रजापति द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे, उनके अवकाश पर रहने पर श्री यश भारती, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर एवं उनके अवकाश पर रहने पर श्री विष्णुकांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।

2. जिला मुख्यालय बैठन पर लगने वाले समस्त थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित प्रकरणों के विचारण का क्षेत्राधिकार श्री केशव कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्यालय बैठन को प्राप्त होने से माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2023 के आलोक में मुख्यालय बैठन पर लगने वाले समस्त थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अपराधों में धारा 164 द.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सिंगरौली मुख्या बैठन श्रीमती तनु गुप्ता एवं उनके अवकाश पर रहने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सिंगरौली मुख्या बैठन श्री जय कुमार जैन द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।
3. यदि किसी भी थाना के समक्ष दर्शित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट में से कोई भी उपस्थित नहीं हो तो उसके पश्चात कॉलम में दर्शित थाना के समक्ष दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, (विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) के पास प्रभार रहेगा।


(शिवचरण पटेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

—: चार्ज प्रभार :—

जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैठन, तहसील न्यायालय देवसर तथा तहसील न्यायालय सरई पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य उनके अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में निम्नानुसार प्रभार की व्यवस्था की जाती है कि :-

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	श्री शिवचरण पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय बैठन	श्री जय कुमार जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैठन	श्री केशव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैठन	श्रीमती तनु गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्यालय बैठन
2	श्री जय कुमार जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्यालय बैठन	श्री केशव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैठन	श्रीमती तनु गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैठन	श्री शिवचरण पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय बैठन
3	श्री केशव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्यालय बैठन	श्रीमती तनु गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैठन	श्री जय कुमार जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैठन	श्री शिवचरण पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय बैठन
4	श्रीमती तनु गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्यालय बैठन	श्री केशव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैठन	श्री जय कुमार जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैठन	श्री शिवचरण पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय बैठन
7	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर	श्रीमती पूनम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्री यश भारती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्रीमती इति प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर
8	श्रीमती पूनम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर	श्री यश भारती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्रीमती इति प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर
9	श्री यश भारती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर	श्रीमती पूनम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्रीमती इति प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर
10	श्रीमती इति प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर	श्री यश भारती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्रीमती पूनम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर
12	(रिक्त न्यायालय) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सरई	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्री च न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देवसर	श्रीमती पूनम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर

अनुमोदित/

प्रधान

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली, मुख्यालय बैठन (म.प्र.)

(शिवचरण पटेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

पृ.क्र./125 / सी.जे.एम./2025

सिंगरौली, दिनांक :- 13.05.2026

प्रतिलिपि:- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात्

- कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।
- माननीय प्रथम/द्वितीय/पंचम/षष्ठम/सप्तम जिला न्यायाधीश मुख्यालय बैठन/देवसर

जिला सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।

3. श्री/श्रीमती/सुश्री.....सम.कत.....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिंगरौली मुख्यालय बैठन/देवसर/सरई जिला सिंगरौली म0प्र0।
4. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिंगरौली म0प्र0।
5. प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली म0प्र0।
6. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म0प्र0।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली
जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
8. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
9. वन मण्डलाधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
10. जिला आबकारी अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
12. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सिंगरौली म0प्र0।
13. उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिंगरौली
म0प्र0।
14. श्रम अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
15. प्रभारी रेलवे पुलिस (जी0आर0पी0) उप थाना सिंगरौली म0प्र0।
16. थाना जी0आर0पी0 कटनी म0प्र0।
17. नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल विभाग, जिला सिंगरौली म0प्र0,
- ✓ 18. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय बैठन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह
उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
19. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जिला सिंगरौली मुख्यालय बैठन/देवसर/सरई की ओर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(शिवचरण पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)